

<p>कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान), करियप्पा मार्ग, लखनऊ छावनी-226002 Office of the Principal Controller of Defence Accounts (Central Command) Cariappa Road, Lucknow Cantt - 226002 कार्यालय दूरभाष सं० 0522-2455283 कार्यालय फ़ैक्स सं० 05222451993 Office Phone No.-0522-2455283 Office Fax No.-0522-2451993 E-Mail ID: cda-luck@nic.in</p>
--

सं. : सं. एवं प./2927/क्षे.प्र.के./2016-17

दिनांक: 27/10/2016

सेवा में

प्रभारी अधिकारी,

(1) वे.ले.का. 39 जी.टी.सी. वाराणसी

(3) वे.ले.का. आर.आर.सी. फतेहगढ़

(2) वे.ले.का. 11 जी.आर.आर.सी. लखनऊ

(4) प्रशासन-III अनुभाग (स्थानीय)

विषय: क्षे.प्र.के.लखनऊ प्रशिक्षण: System Administrator to DOLPHIN and TULIP
पर पाठ्यक्रम।

निम्नलिखित कर्मचारियों/अधिकारियों को नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार दिनांक 09/11/2016 से 11/11/2016 तक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में उपरोक्त विषय पर प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया गया है:

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमति/कुमारी)	लेखा सं.	पदनाम	कार्यालय
1.	धर्मेश श्रीवास्तव	8336207	स.ले.अ.	वे.ले.का. 39 जी.टी.सी. वाराणसी
2.	संतोष कुमार चौरसिया	8340573	व.ले.प.	वे.ले.का. 39 जी.टी.सी. वाराणसी
3.	एच के पांडे	8336140	स.ले.अ.	वे.ले.का. 11 जी.आर.आर.सी. लखनऊ
4.	नीता वर्मा	8334687	स.ले.अ.	मुख्य कार्यालय लखनऊ
5.	अंकित भारद्वाज	8345138	स.ले.अ.	वे.ले.का. आर.आर.सी. फतेहगढ़
6.	सारस शुक्ला	8337549	ले.प.	वे.ले.का. आर.आर.सी. फतेहगढ़

2. सक्षम प्राधिकारी के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि संबंधित कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण से छूट या अनुपस्थिति के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित कर्मचारियों के प्रशिक्षण की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी मंजूर नहीं की जाए।

3. कर्मचारियों/अधिकारियों को अपने कार्यालय से कार्य मुक्त करके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए निर्देशित किया जाए।

4. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता वर्तमान नियम के अनुसार स्वीकार्य है।

व. लेखा अधिकारी (सं. एवं प.)

प्रतिलिपि:

- (1) प्रशासन 1 अ अनुभाग : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
- (2) स्वचलन कक्ष : कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
- (3) क्षे. प्र. के. लखनऊ : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

व. लेखा अधिकारी

व. लेखा अधिकारी (सं. एवं प.)